न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

पत्रावली–पत्र संख्या :–38/2020
GCMS NO:- 2020/00085
पीठासीन अधिकारी:– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

दायर दिनांक: 04.06.2020

1. चतरभुज आ0 छीतर जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. भंवरलाल आ0 छीतर जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
3. लोकेश आ0 मांगीलाल नाबालिक जर्ये संरक्षक पिता मांगीलाल जाति बैरवा हाल निवासीग्राम तुलसीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
4. कला बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति बैरवा हाल निवासीग्राम चीपल्टा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
5. रामलाल आ0 गोरधन जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
6. मांगी पुत्री गोरधन जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
7. कांता पुत्री गोरधन पत्नी श्री प्रभुलाल जाति बैरवा हाल निवासी अम्बेडकर नगर पंचायत माधोराजपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (राज0)
8. सोजीलाल आ0 श्रीकिशन जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
9. बाबूलाल आ0 श्रीकिशन जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
10. काली बाई पुत्री श्रीकिशन पत्नी राधेश्याम जाति बैरवा हाल निवासीग्राम बड़ी पड़ाप तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
11. दाखां बाई पत्नी श्रीकिशन जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
12. उच्छबलाल आ0 फून्दया जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां हाल निवासीग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
13. महावीर आ0 फून्दया जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां हाल निवासीग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
14. संजय आ0 फून्दया जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां हाल निवासीग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
15. विनोद आ0 फून्दया जाति बैरवा निवासीग्राम गणेशपुरा तहसील नैनवां हाल निवासीग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– वास्ते राजस्व नक्शे में रास्ता कायम करने
अंतर्गत धारा 251(क) आर0टी0 एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सत्यनारायण लवानिया।

निर्णय दिनांक 23.11.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गणेशपुरा पटवार मण्डल गुढ़ादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 की खाता संख्या 36 प्रार्थीगण के पिता के खाते व कब्जे की खसरा संख्या 643 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि हैं। नकल जमाबंदी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न हैं। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर आने–जाने, गाड़ी बैल, हल कुली, ट्रेक्टर–ट्रोली लाने ले जाने तथा कृषि उपज लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता आम रोड़ देई से इन्द्रगढ़ जाने वाले जिसके खसरा संख्या 666 से होकर खसरा संख्या 664 में होकर उसके बाद खसरा संख्या 665 में होकर खसरा संख्या 643 में जाकर मिलता हैं। उक्त रास्ते को परिशिष्ट 'क' में अ बिन्दू से ब बिन्दू तक लाल रंग में दिखाया गया हैं। खसरा संख्या 664 व 665 सरकारी सिवायचक बंजड़ भूमि है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर जाने आने का अन्य कृषि उपज लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। यह कि प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने, गाड़ी बैल, हल कुली, ट्रेक्टर–ट्रोली लाने ले जाने हेतु आम रास्ता खसरा संख्या 666 से खसरा संख्या 664 व 665 में 20 फुट चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता हैं। यह कि उक्त रास्ते में खसरा संख्या 664 व 665 की जितनी भूमि काम में आयेगी उसका प्रतिकर नियमानुसार प्रार्थीगण जमा करवाने को तैयार है। यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रार्थना–पत्र की चरण पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.19 15:31:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर पहुचने के लिए 20 फुट चौड़ाई का रास्ता उपरोक्त चरणों में दिये गये विवरण के अनुसार राजस्व नक्शा में व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी एवं नकल नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक ग्राम गणेशपुरा के खसरा संख्या 643 रकबा 8–12 बीघा भूमि में सड़क से खसरा संख्या 664 व 665 सिवायचक भूमि किस्म बंजड़ में होकर आने–जाने हेतु रास्ता निकल रहा है जो राजस्व नक्शा में गै0मु0 रास्ता दर्ज नही है। यह कि धारा 251 ए के अन्तर्गत प्रार्थीयों को खसरा नम्बरे 664 मे से 10 गट्ठा लम्बा व 2 गट्ठा चौड़ा तथा खसरा नम्बर 665 में से 30 गट्ठा लम्बा व 2 गट्ठा चौडा रास्ता दिया जाना उचित होगा जो नजरी नक्शा में प्रस्तावित किया गया।

ख0नं0	लम्बाई	चौड़ाई	कुल
664	10	2	20 गट्ठा अर्थात 1 बिस्वा
665	30	2	60 गट्ठा अर्थात 3 बिस्वा
			कुल 4 बिस्वा प्रस्तावित

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम गणेशपुरा पटवार मण्डल गुढ़ादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 की खाता संख्या 36 खसरा संख्या 643 रकाबा 8–12 बीघा भूमि पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 664 मे से 10 गट्ठा लम्बा व 2 गट्ठा चौड़ा तथा खसरा नम्बर 665 में से 30 गट्ठा लम्बा व 2 गट्ठा चौडा भूमि पर रास्ता नक्शा ट्रेश, जिसे परिशिष्ट–"अ" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.19 15:32:12 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा
ग्राम खोखापुरा
प०म० गुढ़ादेवजी
तहसील नैनवां

परिशिष्ट - "अ"

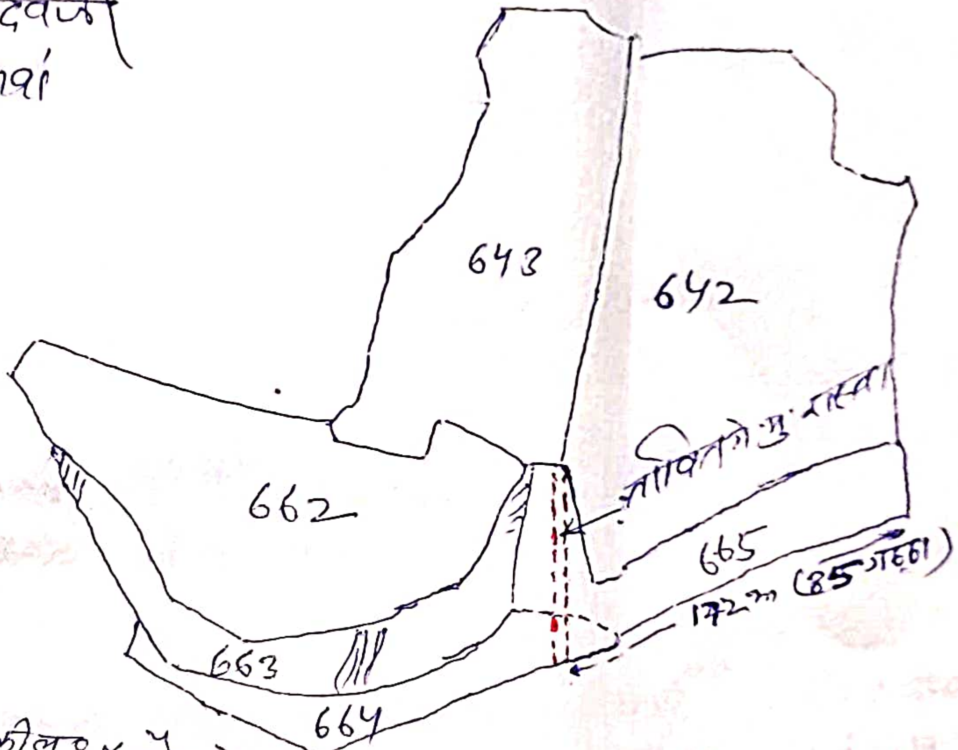

प्रस्तावित गे.मु. रास्ता की ल० × चौ० = क्षेत्रफल

ख.नं. 665 में 30 × 2 = 60 गट्ठा (3 बिस्वा)

ख.नं. 664 में 10 × 2 = 20 गट्ठा (1 बिस्वा)

कुल क्षेत्रफल = 4 बिस्वा

प०स० गुढ़ादेवजी
29/8/2022

ILR गुढ़ादेवजी

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.19 15:32:12 IST
Reason: SelfAttested